

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

20.12.2018

मिसल नम्बर

12/2017/प्रा.पत्र/2017

तारीख दायरा

07.02.2017

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतन लाल पुत्र घांसीलाल जैन जाति महाजन निवासी 102 आर्दश नगर टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकरलाल घासी लाल जैन नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक
2. मैसर्स शंकरलाल घासी लाल जैन नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)  
की उप धारा (iv)(v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2—अप्रार्थी उपस्थित

**:-निर्णय:-**

**दिनांक 20.12.2018**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2016 को समय 5.30 पी.एम. पर मैसर्स शंकरलाल घासी लाल जैन नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से रतन लाल पुत्र श्री घांसीलाल जैन जाति महाजन मैसर्स शंकरलाल घासी लाल जैन नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में लोहे के एक पीपे में लगभग 8-9 कि0ग्रा0 धनिया पावडर (खुला) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री रतन लाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क़य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रतन लाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा दुकान में लोहे के पीपे में रखे गये लगभग 8-9 कि0ग्रा0 धनिया पावडर (खुला) में से 2 कि0ग्रा0 धनिया पावडर (खुला) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री रतन लाल को रू0 280.00/-अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा धनिया पावडर 2 कि0ग्रा0 के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में 500-500 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I-1450 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1450 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. रतन लाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5112 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/542/एक्ट/2016/952 दिनांक 29.09.2016 के अनुसार रतन लाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया धनिया पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का धनिया (खुला) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उपधारा (iv) व (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सपटित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर (खुला) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) की उपधारा (iv) व (v) दण्डनीय धारा 58 (सपटित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रतन लाल पुत्र घांसीलाल जैन जाति महाजन निवासी 102 आर्दश नगर टॉक जिला टॉक मैसर्स शंकरलाल घासी लाल जैन नौशे मियां का पुल टॉक जिला टॉक पर शास्ती 8000/- (अक्षरे आठ हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.12.2018 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक